

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 /2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को देय अव्यवसायिक भत्ता का पुनरीक्षण
विषयक।

संदर्भ - म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/ चार, भोपाल,
दिनांक 09 नवम्बर, 2012

राज्य शासन द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंध के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान के अनुक्रम में पात्र चिकित्सकों को वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 25 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान के मेट्रिक्स लेवल में निर्धारित मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाये।

3/ चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत करने संबंधी अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावशील रहेंगी।

4/ यह आदेश, दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
31. गार्ड फाईल।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग